**न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।**

सत्र परीक्षण संख्या 691/2025

स्टेट बनाम स्टेट बनाम राजेश चौहान।

**दिनांक–19.12.2025**

पत्रावली पेश हुई। आवेदक/अभियुक्त **राजेश चौहान** की तरफ से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए उनके विरूद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त राजेश चौहान दिनांक 10.11.2025 तक जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त की जमानत भी इसी शर्त के साथ स्वीकार की गयी थी कि साक्षी की उपस्थिति में वह आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 25.11.2025 को साक्षी पन्नालाल चौहान अपना साक्षांकन कराने हेतु न्यायालय में उपस्थित आया था, लेकिन आवेदक/अभियुक्त अनुपस्थित रहा औऱ उसकी तरफ से कोई हाजिरी माफी भी प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे कि न्यायालय की कार्यवाही विपरीत तरीके से प्रभावित हुई और त्वरित विचारण के रूप में साक्षी का साक्ष्य भी सम्पन्न नहीं हो पाया। आवेदक के द्वारा प्रार्थनापत्र में जो आधार दिया गया है, वह न्यायालय की राय में पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.12.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त राजेश चौहान की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.12.2025 निरस्त किया जाता है। अभियुक्त का धारा 309 दं०प्र०सं० का वारण्ट बनाकर उसे अविलम्ब जिला कारागार भेजा जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं01,
आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.12.19 14:40:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court